(b) and (c). We have already established 'The Indian Council of Arbitration' in India. The recommendations of the seminar are under examination.

ASSISTANCE TO TEXTILE INDUSTRY

6034. SHRI BENI SHANKER SHARMA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state: (a) whether Government have decided to give a grant of Rs. 5 crores to the Indian Cotton Mills Federation to be distributed as cash assistance to promote textile exports;

(b) if so, the nature of such help given during the last year; and

(c) how far it is going to help in promoting exports of cotton textiles?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) to (c). Government have decided to make a grant to the Indian Cotton Mills' Federation at a flat rate of 5 per cent of the FOB value of the exports of cotton textiles effected during 1968-69. No financial assistance was given to the Federation for this purpose last year. With the assistance given by Government to the Federation from April 1968, exports of cotton textiles, both mill-made and handloom are expected to increase to Rs. 120 crores during 1968-69.

उत्तर प्रदेश की शाखा लाइनों पर चोरी के मामले

6035. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की कुछ शाखा लाइनों पर चोरी का विधि उल्लंघन की अन्य घटनाओं के मामले बढ़ रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उनके कारणों का पता लगाया है ; और

(ग) उन्हें रोकने के लिये कौन सी विशेष व्यवस्था की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हां, कुछ शाखा लाइनों पर।

(ख) और (ग). घटनाओं में वृद्धि का कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति में आम गिरावट है। रेलवे परिसर और रेल गाड़ियों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/राज्य सरकारी रेलवे पुलिस की है। अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए हर समय सरकारी रेलवे पुलिस से निकट सहयोग रखा जाता है और जब कभी कोई गम्भीर अपराध होता है और किसी विशेष क्षेत्र अथवा गाड़ी में आपराधिक गतिविधियों बढ़ जाती हैं, तो निवारक उपाय बरतने के लिए तुरंत उस ओर सरकारी रेलवे पुलिस का ध्यान दिलाया जाता है। चूंकि इन मामलों से रेलों का भी गहरा सम्बन्ध है, इसलिए रेलें निम्नलिखित उपाय कर रही हैं :—

(i) यार्डों, माल, पार्सल और पारवहन शेडों आदि में चौबीस घंटे रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

(ii) प्रभावित खंडों पर माल गाड़ियों में नियमित रूप से पहरेदारों की व्यवस्था की जाती है।

(iii) आपराधिक गतिविधियों पर निकट से निगरानी रखने के उद्देश्य से अपराध आसूचना इकट्ठी करने के लिए सादी पोशाक में रेलवे सुरक्षा दल और अपराध आसूचना शाखा के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

(iv) बदनाम खंडों और स्थलों पर सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा गश्त और पहरे की भी व्यवस्था है।

(v) लाउड स्पीकरों और प्रचार के अन्य साधनों द्वारा यात्रा करने वाली जनता को सावधान किया जा रहा है कि वे अपराधियों से अपनी सम्पत्ति को बचाकर रखें।